Indian Streams Research Journal
Vol.1,Issue.V/June; 12pp.1-4
डॉ.भालचंद्र रू.देंशमुख
ISSN:-2230-7850

Research Papers

पिछडे वर्गो में बढती किसान आत्महत्या

डॉ.भालचंद्र रू.देंशमुख
सहा.प्राध्यापक,
जी.एन.आझाद समाजकार्य महाविद्यालय ,
पुसद जि.यवतमाल(महा)

प्रस्तावना :–

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आज भी देश की लगभग 59 प्रतिशत जनता अपनी रोजी राटी के लिए कृशि पर निर्भर है, जो आजादी के समय तकरीबन 75–80 प्रतिशत थी। जहां सन 1951 में सकल घरेलू उत्पाद में कृशि का हिस्सा 55 से 60 प्रतिशत था, आज घटकर 17. 5 प्रतिशत पर फिसला है,(जाधव 2008)। इसके बावजूद भी सर्वधिक दलित एवं आदिवासी जनता की आजिवीका कृषी से ही जुडी है। भारत की आजादी के समय अनाज के लिए हमारा राष्ट्र अमेरिका तथा अन्य युरोपीय राष्ट्रो पर निर्भर था । पंचवर्शिय योजना में कृशी को अग्रस्थान देकर हरित क्रान्ति के अधार पर भारत अनाज के मामले में स्वावलम्बी हुआ। इताना ही नहीं, अन्य राष्ट्रा को अनाज निर्यात करने वाले राष्ट्रो की सुची में भारत ने अपना नाम दर्ज किया। कृषि की यह स्थिती सन 1989–90 में बरकरार थी।

सन 1991 में तत्कालीन सरकार द्वारा आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी। वैश्विकरण और उदारीकरण में भारत ने अपना कदम रख दिया था, यह सोचकर कि विश्व व्यापार समझौते में बेचने का भारत का स्वर्णिम अवसर मिलेगा और कृशि निर्यात बढने से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, जिसके आधार पर भारत का किसान अच्छी जिंदगी बिता पायेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए 1 जनवरी 1995 में 'विश्व व्यापार संगठन' से समझौता किया गया। इस समझौते को भारतीय विशषज्ञों ने विरोध किया था। इसे नजरअंदाज कर भारत सरकार ने इसे किसान के हित में करार दिया था। तब से आज तक तकरीबन डेढ दशक में कृषि क्षेत्र में आमुलाग्र परिवर्तन हुए।

कृषि क्षेत्र समस्याओं से घिर गया। विश्व व्यापार संगठन की नितीयों के अनुरूप भारत के कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश में निरंतर कमी आई है। सब्सिडी में बडे पैमाने पर कटौती की गयी, जिसका सिधा प्रभाव छोटे व सीमांत किसानों पर पडा, जिसमें ज्यादातर संख्या दलित और आदिवारी किसानों की है। बहुराष्ट्रीय कंपनियो ने बीज एंव रसायनिक खाद, किटनाशकों के पेटेंट बनाकर इन चीजों की कीमतों में भारी बढोतरी की, जो 300 प्रतिशत तक थी(राव 2006)। पर इसके बदले में अनाज के उत्पादन में बढोतरी नहीं हो पाई। किसान कर्ज में डुबता चला गया, जिससे बाहर निकलने का रास्ता 'आत्महत्या' को ही चुना।

1997 से 2007 तक लगभग 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके थे, जिसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ, प. बंगाल, महाराष्ट्र इन विकसीत राज्यों के किसानों की संख्या ज्यादा पायी गयी। इन राज्यो की तुलला में महाराष्ट्र के किसान अधिक संख्या में (40 हजार से अधिक) आत्महत्या कर रहे है, (साईनाथ 2007)। जिसमें पश्चिम विदर्भ के अमरावती बुलढाना, अकोला, वाशिम, वर्धा और यवतमाल जिलों का समावेश है। इन जिलों में यवतमाल में सर्वाधिक किसान आत्महत्या कर चुके है। इनमें पिछडे वर्गो के किसानों की संख्या अधिक है।

प्रस्तूत शोध निबंध में यवतमाल जिले के पिछडे वर्ग के किसानों में बढ रही आत्महत्या के कारणों की मिमांसा की गयी है, जिसका मुख्य आधार प्राथमिक तथ्य है, जो आत्महत्या कर चुके किसान परिवारो से लिए गये है।

यवतमाल जिले की सामाजिक–भौगोलिक स्थिती

महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम विदर्भ में यवतमाल जिले का समावेश होता है। जिसका क्षेत्रफल 13,594 कि.मी.है। 2013 गांवो से बने 16 तालुको में विभाजित इस जिले की जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर 24.60 लाख थी (जिला पुस्तीका 2007)।

अध्ययन के उददेष्य–

पिछडे वर्गों के किसानों में बढती आत्महत्या के कारणों की मीमांसा करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्य को सामने रखकर अध्ययन किया गया:

1) पिछडे वर्गों के किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिती अध्ययन।
2) कृषि पध्दति एवं समस्या का अध्ययन।
3) शासकीय योजनाओं का लाभ एवं उसकी उपयोगीता का अध्ययन।

Please cite this Article as : *डॉ.भालचंद्र रू.देंशमुखे , पिछडे वर्गो में बढती किसान आत्महत्या*: **Indian Streams Research Journal (JUNE ; 2012)**

अध्ययन पध्दति–

प्रस्तुत अध्ययन महाराष्ट्र के यवताल जिले में किया गया जहां भारत के किसी भी जिले के मुताबिक सबसे ज्यादा किसानों द्वारा आत्महत्या की गयी। इस अध्ययन की दिशा सन 2007 पर केन्द्रित की गयी। इस वर्ष 359 किसानों ने आत्महत्या की थी, जिसमें से 80 किसानों का चुनाव दैव निदर्शन' से किया गया था। जिले में कुल 16 तालुकों का समावेश हैं। प्रत्येक तालुका से 5 मुकदमों का चुनाव इस पध्द्ति से किया गया। आत्महत्या किये गये परिवार से 'कारक परिक्षक साक्षात्कार' कें अंतर्गत 'अनुसूची' का उपयोग कर तथ्यों का संकलन किया गया।

किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिती

सर्वेक्षण के तहत प्राप्त कुल 80 किसानों की उम्र यह दर्शाता है कि 31 साल की उम्र के उपर के किसानों में बडे पैमाने पर आत्महत्या हुई है, जिसका कुल प्रतिशत में 80 प्रतिशत का हिस्सा था। इसकी तुलना में 20 से 31 साल की उम्र में 20 प्रतिशत आत्महत्याएं पायी गयी।जातिनिहाय आत्महत्याओं से यह स्पष्ट होता है की, व्हिजे वर्गवारी में सर्वाधिक आत्महत्याओं का प्रमाण है, जिसका प्रतिशत 27.3 प्रतिशत था। अन्य वर्गो में यह प्रमाण ओबीसी 25.00, एसटी 21.3, एनटी 13.8, एससी 8.08 प्रतिशत पाया गया। सबसे कम आत्महत्याएं सम्पन्न वर्ग में पायी गयी, जिसका दर केवल 3.8 प्रतिशत था। यह आंकडा पिछडे वर्गों के किसानों की बढती आत्महत्या (96.2 प्रतिशत) की स्थिती बयान करती है।

सर्वाधिक आत्महत्या किये गये किसानों में निरक्षरता (42.5 प्रतिशत) अधिक पायी गयी। कुल किसानों में से निरक्षरता का प्रमाण एससी, एसटी वर्ग में ज्यादा पाया गया, जहॉ सम्पन्न वर्ग का एक भी किसान निरक्षर नहीं था। निरक्षरता में एससी में यह प्रमाण 74.4, एसटी में 70.6, व्हिजे वर्गवारी में 59.1 और ओबीसी में 15 प्रतिशत था। किसानों की शिक्षा की यह स्थिती पिछडे वर्गों में बढती आत्महत्या का कारण स्पष्ट करती है। परिवार नियोजन में ये जाति–जमाति पीछे पायी गयी। परिवार में अधिक सदस्य तथा उपजिवीका का साधन कम होने के कारण सामाजिक जीवन निम्न पाया गया।

आज भी जनजातीयां अपनी पारम्पारीक बस्तियों स्थान में पायी गयीं। आत्महत्या किये गये अनुसूचित जाति के परिवार गांवो के बाहर बसेरा करते पाए गये। बंजारा समाज अपनी पारम्पारिक तांडा, आदिवारी समाज पोड, पारधी –बेडया ऐसे स्थानों में निवास करते है। किसानों में फाईलों के अन्दर कृषि क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे है, नये संशोधन हुए, उन तक नही पहुंच पाये है। जिसके चलते किसान परम्परागत पध्दति को ही अपनाता आ रहा है। परिणामस्वरूप आर्थिक स्थिती में सुधार नही हो पाया।

तकरीबन 56.25 प्रतिशत किसानों की मासिक आय रू. 1500 से कम पायी गयी। इसका मतलब यह है की किसान गरीबी रेखा के निचे जीवन जी रहे थे। अध्ययन से समाविष्ट 53.50 प्रतिशत किसानों के पास 2 हेक्टर से कम खेत थी। इन छोटे किसानों में जातीय आधार पर विभाजन से यह स्पश्ट होता है की कुल किसानों में से 85.7 प्रतिशत किसान एससी 58.9, एसटी 54.6 प्रतिशत व्हिजे वर्गवारी में से थे। जहॉ सम्पन्न वर्ग का एक भी किसान 2 हेक्टर के अंदर नहीं पाया गया। इस आकडे से यह स्पष्ट होता है की अनुसूचीत जाती और जनजाती के किसान के पास बहुत ही कम जमीन है, जो जीवन जीने के लिए पर्याप्त नही है। कुल किसानो में से 86.25 किसानों की जमीन वर्षा जल पर निर्भर करती थी, जहॉ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शत प्रतिशत किसानों के पास सिचांई की कोई व्यवस्था नही थीं। खेती की इस हालत से सभी किसान ऋणग्रस्त पाये गये। केवल 2.63 प्रतिशत ही ऐसे किसान थे, जिन पर रू.10,000 कम ऋण था। लगभग 70 प्रतिशत किसानों पर 10 से 50 हजार रूपये तक के ऋण पाये गये तथा 27 प्रतिशत किसानों पर 50 हजार से 1 लाख रूपये तक के ऋण पाये गये।

राश्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रीपोर्ट अनुसार देश के 48.60 प्रतिशत किसान ऋण जाल में फंसे हुए थे और प्रत्येक किसान पर औसत रू.12,585 का ऋण था (दुबे,2007:41)। इस आकडे को प्रमाण मान लिया जाए, तो यवतमाल जिले में ऋणग्रस्त किसान और ऋण की रकम अधिक दिखाई देती है। यह एक प्रमुख कारण आत्महत्या को उजागर कराता है। इन किसानों में से ज्यादातर किसान (53.94 प्रतिशत) निजी साहूकारों से उंचे ब्याज दरो पर ऋण उठाये पाये गये। निजी साहूकारो से ऋणग्रस्त किसानों में एससी और एसटी वर्ग के किसान अधिकतम संख्या में थे। इन साहूकारो ने पिछले कुछ वर्षो से इन किसानो को धमकाना शुरू किया था तथा जमीन बेचने के लिए सख्ती की जा रही थी जिसका मानसिक तनाव इन किसानों पर बढता चला जा रहा था।

कृशि पध्दति एवं समस्याएं

किसानों की बढती आत्महत्या में कृषी पध्दती और उसमें पायी जाने वाली समस्याओं ने अहम् भूमिका अदा की है। कृषि यह एक व्यवहसाय है अर्थात अन्य व्यवसाय के तहत इस व्यवसाय में भी नियोजन और व्यवस्थापन की उतनी ही जरूरत है, जितनी की अन्य व्यवसाय में है। आत्महत्याग्रस्त किसानों की खेती में नियोजन तथा व्यवस्थापन की कमी पायी गयी। 81.25 प्रतीशत किसानों ने मिट्टी परिक्षण नही किया था, जिसके चलते उन्हें जमीन में कौन से घटक उपलब्ध है और किन घटकों की कमी है, यह पता नही था। जमीन के विपरीत बीज बोने की वजह से ज्यादा खाद का उपयोग किया गया जिसके कारण भारी मात्रा में खर्चे की बढोतरी हुई। इसके विपरीत उत्पादन कम हुआ।

फसल में बदलाव करते आ रहे केवल 35 प्रतिशत किसान थे तथा 71.25 प्रतिशत किसानों के पास खेती के योग्य साधन (बैलजोडी आदी) भी उपलब्ध नही थे, जिसके कारण खेती दूसरो के सहारे की जाती थी। लगातार तीन साल से कम हुई बारिश और कपासी पर पडा 'लाल्या' नामक रोग के कारण कपास के उत्पादन में भारी गिरावट आयी। जहॉ किसान 6 क्विंटल प्रति एकड कपास की अपेक्षा किये हुये थे, वहॉ केवल 1 से 2 क्विंटल तक ही सिमीत रहा। भारी नुकसान के चलत ऋण में इजाफा होता चला जा रहा था, जिसका तनाव किसानों पर बढ रहा था। परिवार में हुई शादी (23.75 प्रतिशत परिवार), बीमारीयॉ (25 प्रतिशत) और अन्य खर्चो के लिए भारी मात्रा में ऋण लिये गये थे, जिसका मानसिक असर होता जा रहा था। परिवार की आकांक्षा पूरी न कर पाने का दर्द (60 प्रतिशत), समाज में कम होती जा रही प्रतिष्ठा (40 प्रतिशत), सामाजिक मदद ना मिल पाना (50 प्रतिशत), इसके कारण परिवार में तनाव (57.50 प्रतिशत) बढता चला जा रहा था। तनाव के चलते नशाखोरी में भी बढोतरी पायी गयी। 23.75 प्रतिशत किसान आत्महत्या के समय मद्य के नशे में पाये गये। इन सभी आकडो से कृशि क्षेत्र में हुए बदलाव के कारण, खर्चो में बढोतरी तथा अन्य समस्याओ से घिरने के कारण किसान आत्महत्या की स्थिती में पहूंच गये यह सिध्द होता है।

षासकीय योजनाओं का लाभ

खेती की उत्पादकता बढाने के लिए शासन द्वारा अनेक बडी–बडी योजनाएं बनायी जाती है। यवतमाल जिले में इसकी स्थिती बहुत खराब पायी गयी। लगभग 98 प्रतिशत किसान किसी भी प्रकार की योजना का लाभ मिलने से वंचित थे। जिन किसानो ने लाभ उठाया था, उनमें अधिकांश परिवार उन योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ पाये गये। योजना का प्रसार तक नही किया जाता– ऐस कहने वाले 66.25 प्रतिशत परिवार थे तथा 66.25 प्रतिशत परिवार के अनुसार योजना देते वक्त जातीय आधार पर भेदभाव किया जाता है। 70 प्रतिशत परिवार के

Please cite this Article as : *डॉ.भालचंद्र रू.देशमुखे* **,** *पिछडे वर्गो में बढती किसान आत्महत्या* **: Indian Streams Research Journal (JUNE ; 2012)**

अनुसार शासन का काई भी अधिकारी योजना तथा अन्य कृशि का ज्ञान देने उनके गाव या बस्ती में नही पहुंचा। जिन बस्तियो में ये अधिकारी पहुंच पाये थे, वहां के परिवार भी योजना से अनभिज्ञ पाये गये। इसका प्रमुख कारण था कि समस्या बताने के बावजूद भी उस पर समाधान नही खाजा गया।

प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री पॅकेज के अंतर्गत भारी रक्कम (पीएम पैकेज रू 3750 करोड, सीएम पैकेज रू 1075 करोड) आत्महत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए खर्च किये गये, इसके बावजूद भी 90 प्रतिशत किसान मदद से वंचित रहे, जबकि मदद मिलने के लिए 58.33 प्रतिशत किसानों ने अर्जी किये थे। जिन किसानो ने अर्जी नही की थी, उनमें से 50 प्रतिशत परिवार का इस पैकेज के बारे में पता तक नही था। यह पैकेज के अयशस्वी होना तथा किसानों की आत्महत्या में दिन–व–दिन बढोतरी होने का कारण स्पश्ट करता है। शासन द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना के केवल 32.50 प्रतिशत किसान लाभार्थी थे। अन्य परिवारो को इस योजना का नाम तक पता नही था।

इस शोध कार्य के सहभागी सभी किसान कपास की फसल लेते रहे है। इन किसानो को लाभ देने के लिए पैकेज द्वारा 26.90 लाख रूपये खर्च किये गये(शेतकरी 2007)। किये गऐ शोध से पता चला कि एक भी कीसान को प्रत्यक्ष लाभ नही मिल पाया था। आत्महत्या के बाद परिवार को दी जाने वाली 1 लाख की राशी केवल 23.75 प्रतिशत परिवारो को दी गयी। अन्य परिवार इस लाभ से वंचित रहे। इतना ही नही,उन्हे मदद से क्यों दरकिनार कर दिया गया, यह भी नही बताया गया। शासकीय योजना की यह स्थिती कृशि क्षेत्र में हो रही आत्महत्याओं से स्पष्ट होती है, जिसका सीधा असर पिछडे वर्गो के किसानो पर पडा है।

निष्कर्ष

भारत में हमेशा से ही पिछडे वर्गो पर मानवीय अन्याय एवं अत्याचार किये जाते रहे हैं। आज सिान भी दइससे अछूता नही । फर्क इतना हैं कि अन्य अत्याचर एवं हिंसा दृश्य है, किसान की आत्महत्या अदृश्य है, पर यह एक–पर–एक सत्य' है की यह प्रकार की हत्या ही है। शासन डब्ल्यूटीओ के कितने ही गुणगान क्यों न करे आज यह उजागर हुआ है की हमारे अशिक्षित कम पढे लिखे किसान इस स्थिती का सामना करने के लिए सक्षम नही है। कृषि क्षेत्र में शासन की कम होती जा रही हिस्सेदारी, वापस ली जा रही सब्सिडी, बीज–खाद–कीटनाशक की बढती कीमतो को नियंत्रित करने में असफलता, इन सबका सीधा प्रभाव किसान पर पड रहा है।

पिछडे वर्गो में शिक्षा का अभाव, धारन क्षेत्र की कमी, सिंचाई का अभाव, अत्यल्प मासिक आय, ऋणग्रस्तता, सरकारी ऋण एजंसियो की कमतरता, साहूकारो का प्रभाव, अधिक ब्याज दर, इन सभी का प्रभाव खेती में किये जाने वाले नियोजन तथा व्यवस्थापन पर पडा, जिसके तहत् खेती करना जोखिम से कम नही। शासन के पास ऐसी कोई रणनिती नही है, जो अपने अधिकारियो को गतिशील बनावे। सरकार द्वारा योजना तो बनती है, पर उसकी आपूर्ती नही हो पाती। इसका स्पष्ट उदाहरण स्व.राजीव गांधी ने दिया था, जो आज की दशा में भी लागू होता है की सरकार से निकला 1 रूपये का केवल 14 पैसा लाभार्थी को मिलता है। वैश्वीकरण की इस दौड में पिछडे वर्गो के किसान पूरी तरह से समस्या से घिर चुके है, जिससे बाहर निकलने का समाधान वे आत्महत्या के मार्ग में ढुँढता चले आ रहे है।

संदर्भ

दुबे आर. के. 2007.'कृषि,कृषक और विसंगतियां:किसान आत्महत्या' कुरूक्षेत्र. दिल्ली. जनवरी अंक 3
जाधव एन. 2008. 'फार्मर सुसाईड एण्ड डेब्ट विव्हर एन एक्शन प्लॅन फॉर एग्रीकल्डचरल डेव्हलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र'.
राव दिपांजली.2008. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर.
साईनाथ पी.2007. फार्मर सुसाईड इन इंडिया'.यवतमाल. जिला पुस्तिका
2007. शेतकरी.जल संपदा विभाग.यवतमाल. अप्रैल

Please cite this Article as : *डॉ.भालचंद्र रू.देशमुखे , पिछडे वर्गो में बढती किसान आत्महत्या* **: Indian Streams Research Journal (JUNE ; 2012)**